No.CDN-27011/2/2018-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 14.11.2018

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of October, 2018 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

Encl. As above.

<u>All Members of the Council of Ministers</u>

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Vice President Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

<u>Copy to</u>:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of October, 2018"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF OCTOBER, 2018

(1) Notifications:-

(i) The Ministry has constituted National Financial Reporting Authority (NFRA) w.e.f. 01.10.2018 vide Notification No. S.O. 5099 (E) dated 01.10.2018.

(ii) Sub-sections (1) and (12) of section 132 of Companies Act, 2013 which relate to constitution of NFRA and its head office to be in New Delhi has been brought into force w.e.f. 1st October, 2018 vide Notification Number S.O. 5098 (E) dated 01.10.2018.

(iii) The Ministry has amended the Schedule III to the Companies Act, 2013 to insert Division III relating to Financial Statements for a Non-Banking Financial Company (NBFC) whose Financial Statements are drawn up in compliance of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 vide Notification No. G.S.R. 1022 (E) dated 11.10.2018.

(iv) Sub-sections (2), (4), (5), (10), (13) (14) and (15) of section 132 of Companies Act, 2013 which relate to functions, appeal, accounts, reports etc. of NFRA has been brought into force w.e.f. 24.10.2018 vide Notification number S.O. 5385(E) dated 24th October, 2018.

(v) The Ministry has established the Office of the Registrar of Companies at Vijayawada, having territorial jurisdiction in the whole State of Andhra Pradesh with effect from 29.10.2018 vide Notification No. S.O. 5457(E) dated 26.10.2018.

(vi) The Ministry has established the Office of the Registrar of Companies-cum-Official Liquidator at Dehradun, having territorial jurisdiction in the whole State of Uttarakhand with effect from 29.10.2018 vide Notification No. S.O. 5458(E) dated 26.10.2018.

(vii) The Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014 has been amended to substitute the word "Nainital" with the word "Dehradun" and to include the words "Registrar of Companies, Vijayawada" with effect from 29.10.2018 vide Notification No. S.O. 5459(E) dated 26.10.2018).

(2) Circulars:-

(i) A circular no. 09/2018 dated 05.10.2018 was issued to relax the additional fees payable to companies having registered office in the State of Kerala on e-forms AOC-4, AOC (CFS), AOC-4 XBRL and e-Form MGT-7 upto 31.12.2018, wherever additional fees is applicable.

(ii) A circular no. 10/2018 dated 29.10.2018 was issued to relax the additional fees payable by companies on e-froms AOC-4, AOC (CFS), AOC-4 XBRL and e-Form MGT-7 upto 31.12.2018, wherever additional fees is applicable.

(3) The Insolvency Law Committee (ILC) constituted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) on cross border insolvency submitted its report to the Ministry in October, 2018. The same has been put in public domain.

The Committee noted that the existing provisions in the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) i.e. section 234 and 235 don't provide a comprehensive framework for cross border insolvency matters. The Committee recommended adoption of the UNCITRAL framework subject to a few carve outs to meet our priorities and protect public interest. Some of the key advantages of adopting the model law as recommended by the Committee are increasing foreign investment, flexibility, protection of domestic interest, priority to domestic proceedings and mechanism for cooperation. Four broad principal on which model law is based are Access, Recognition, Cooperation and Coordination.

Incorporation of cross border insolvency provisions will create an internationally aligned and comprehensive insolvency framework for corporate debtors under the code, which is most essential in a globalized environment. The proposed framework is meant for individual companies and not enterprise groups.

(4) In compliance of orders of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 2422 of 2018 (arising out of Special Leave Petition [Civil[No. 1808 of 2016) dated 23.02.3018 and 27.07.2018, Ministry of Corporate Affairs had constituted a three member Committee of Experts to look into the regulatory and other issues related to Multi-national Accounting Firms (MAFs).

The Committee of Experts has submitted its report on 25.10.2018 to the Ministry and to the Hon'ble Supreme Court.

सं. सीडीएन-27011/2/2018-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख : 14.11.2018

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अक्तूबर, 2018 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23389622

अनुलग्नक - उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अक्तूबर, 2018 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अक्तूबर, 2018 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

(1) **अधिसूचनाएं -**

(i) मंत्रालय ने दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5099(अ) द्वारा दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन किया।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (1) और (12) को दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5098(अ) द्वारा दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 से प्रवृत्त किया गया जो एनएफआरए के गठन और नई दिल्ली में इसके कार्यालय की स्थापना से संबंधित है।

(iii) मंत्रालय ने दिनांक 11.10.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1022(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), जिसका कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अनुपालन में उनका वित्तीय विवरण प्राप्त किया जाता है, के लिए वित्तीय विवरण से संबंधित प्रभाग-III अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया है।

(iv) दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5385(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधाराएं (2), (4), (5), (10), (13), (14) और (15) को दिनांक 24.10. 2018 से प्रवृत्त किया गया, जो एनएफआरए की कार्यप्रणाली, अपील, लेखांकन, रिपोर्टों आदि से संबंधित है।

(v) मंत्रालय ने दिनांक 26.10.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.5457(अ) द्वारा विजयवाड़ा में दिनांक 29.10.2018 से प्रभावी कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना की, जिसका पूरे आंध्रप्रदेश राज्य में प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र है।

(vi) मंत्रालय ने दिनांक 26.10.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5458(अ) द्वारा देहरादून में दिनांक 29.10.2018 से प्रभावी कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक के कार्यालय की स्थापना की, जिसका पूरे उत्तराखंड राज्य में प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र है।

(vii) कंपनी (शास्तियों का न्याय-निर्णयन) नियम, 2014 में “देहरादून” शब्द के साथ “नैनीताल” शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए तथा “कंपनी रजिस्ट्रार, विजयवाड़ा” शब्दों को जोड़ने हेतु दिनांक 26.10.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5459(अ) द्वारा संशोधन किया गया, जो दिनांक 29.10.2018 से प्रभावी हुए।

(2) परिपत्र :-

(i) केरल राज्य में पंजीकृत कार्यालय वाली कंपनियों द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक ई-प्ररूप एओसी-4, एओसी (सीएफएस), एओसी-4 एक्सबीआरएल और ई-प्ररूप एमजीटी-7 में अदा किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, जहां अतिरिक्त शुल्क लागू है, के भुगतान में छूट देने हेतु दिनांक 05.10.2018 को एक परिपत्र संख्या 09/2018 जारी किया गया।

(ii) कंपनियों द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक ई-प्ररूप एओसी-4, एओसी (सीएफएस), एओसी-4 एक्सबीआरएल और ई-प्ररूप एमजीटी-7 में किए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क, जहां अतिरिक्त शुल्क लागू है, के भुगतान में छूट देने हेतु दिनांक 29.10.2018 को एक परिपत्र संख्या 10/2018 जारी किया गया।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा सीमा पार दिवाला पर गठित दिवाला विधि समिति (आईएलसी) ने अक्तूबर, 2018 में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है।

समिति ने नोट करती है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के मौजूद प्रावधानों अर्थात् धारा 234 और 235 सीमा पार दिवाला मामलों के लिए विस्तृत ढ़ांचे का प्रावधान नहीं करती हैं। समिति ने अपनी प्राथमिकताओं और सार्वजनिक हित की परियोजनाओं को पूरा करने वाले कुछ संशोधनों के आधार पर यूएनसीआईटीआरएएल ढांचा अपनाने की सिफारिश की है। समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनुसार मॉडल कानून को अपनाने के कुछ मुख्य लाभ विदेशी निवेश बढ़ना, लचीलापन, घरेलू हितों की रक्षा, घरेलू कार्यवाहियों की प्राथमिकता तथा सहयोग हेतु तंत्र है। जिन चार प्रमुख सिद्धांतों पर मॉडल कानून आधारित है वे हैं पहुंच, पहचान, सहयोग और समन्वय।

सीमा-पार दिवाला निगमन प्रावधान संहिता के तहत कारपोरेट ऋणियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुरूप और विस्तृत दिवाला ढांचा तैयार करेगा, जो वैश्विकरण के माहौल में अत्यावश्यक है। प्रस्तावित ढांचा वैयक्तिक कंपनियों के लिए है, उपक्रम समूहों के लिए नहीं है।

(4) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 2018 की 2422 [विशेष अनुमती याचिका (सिविल)(2016 का 1808) के संबंध में], दिनांक 23.02.2018 और 27.07.2018 के आदेशों के अनुपालन में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने बहु-राष्ट्रीय लेखांकन फर्मों (एमएएफ) के नियामक और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने के लिए तीन सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 25.10.2018 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायलय को प्रस्तुत की है।